

राज्यपाल को झीरम घाटी जाँच आयोग की रपिोर्ट सौंपी गई

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2021 को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जाँच आयोग की रपिोर्ट सौंपी गई। यह रपिोर्ट आयोग के सचवि एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजसि्टरार (न्यायकि) संतोष कुमार तविवारी ने सौंपी। राज्यपाल को रपिोर्ट सौंपने पर वविाद भी शुरू हो गया है।

प्रमुख बदि

- यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मशि्रा की अध्यक्षता में गठति कयिा गया था। मशि्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे तथा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
- यह प्रतविदन 10 वॉल्यूम और 4,184 पेज में तैयार कयिा गया है।
- झीरम घाटी की घटना 25 मई, 2013 को हुई थी। इस घटना की जाँच के लयि आयोग का गठन 28 मई, 2013 को कयिा गया था। आयोग ने 8 साल बाद अपनी रपिोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है।
- हालाँकि जाँच आयोग द्वारा रपिोर्ट राज्य सरकार को देने की जगह सीधे राज्यपाल को दयि जाने पर वविाद शुरू हो गया है, वशिषज्जों का कहना है कि आमतौर पर आयोग द्वारा यह रपिोर्ट गृह वभिाग को सौंपी जानी चाहएि थी, ताकि सरकार की तरफ से इसे सदन में पेश कयिा जा सके।
- कॉन्ग्रेस ने रपिोर्ट सौंपने के तरीके पर आपत्तजिताते हुए कहा कि जब भी कसिी न्यायकि आयोग का गठन कयिा जाता है, तब आयोग अपनी रपिोर्ट सरकार को सौंपता है।
- उल्लेखनीय है कि बिस्तर की झीरम घाटी में नक्सलयिों ने 25 मई, 2013 को तत्कालीन कॉन्ग्रेस की परविर्तन यात्रा के काफलि पर हमला कयिा था। इस हमले में वधियक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री व नेता प्रतपिकष महेंदर कर्मा सहति करीब 32 अन्य लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री वदियाचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जनिा बाद में इलाज के दौरान नधिा हो गया था।